

माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत  
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु

आवेदन-पत्र  
वित्तीय वर्ष 2014-15

फार्म सं० .....

1. आवेदक/ आवेदिका का नाम .....
2. पिता/पति का नाम .....
3. पूरा पता-गांव/मौहल्ला ..... डाकखाना .....
- ..... विकास खण्ड ..... तहसील .....
4. जाति .....
5. धर्म .....
6. परिवार के मृतक साधक (कमाने वाले व्यक्ति का नाम) .....

(अ) आवेदक की आयु तथा आवेदक/आवेदिका से सम्बन्ध .....

7. (अ) मृत्यु का कारण ..... (ब) मृत्यु का दिनांक .....
8. सभी स्रोतों से परिवार की वार्षिक आय .....
9. प्रार्थिक/आर्थिक सहायता .....
10. आवेदक/आवेदिका के पहिचान के चिन्ह .....
11. परिवार के साधक व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् आवेदक/  
आवेदिका को कोई आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है अथवा नहीं .....

नोट - (1) (असामयिक दुर्घटना से हुई) मृत्यु की स्थिति में सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त मृत्यु प्रमाण-पत्र अथवा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की प्रमाणित छाया तथा सामायिक सामान्य मृत्यु की स्थिति में ग्राम प्रधान/नगर/पंचायत/नगर क्षेत्र पंचायत के अधिशासी अधिकारी/नगर के प्रभारी उपनगर के प्रभारी उपनगर अधिकारी द्वारा मृत्यु प्रमाण-पत्र हो मान्य होगा।

**आवेदक/आवेदिका द्वारा शपथ-पत्र**

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता/ करती हूँ कि (1) इस आवेदन पत्र के सभी तथ्य सही हैं। (2) मृतक व्यक्ति मेरे.....  
.....मेरा परिवार गरीबी की रेखा से नीचे आर्थिक सहायता की पूरी धनराशि एक मुश्त  
सरकार को वापिस कर दूंगा/ दूंगी और मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

गांव प्रधान/नगर निगम/ नगर/क्षेत्र पंचायत की रिपोर्ट:

मेरे संज्ञान में आवेदक/ आवेदिका मेरी ग्राम पंचायत  
नगर कस्बा का स्थायी निवासी/निवासिनी है/  
आवेदक पत्र के तथ्य सही हैं आर्थिक सहायता हेतु  
संस्तुति करता हूँ/करती हूँ

आवेदक / आवेदिका का हस्ताक्षर  
अंगूठा निवानी.....  
पूरा नाम.....  
दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

ग्राम प्रधान/नगर निगम अधिकारी/नगर पंचायत अधिकारी

मोहर.....

## जांचकर्ता की रिपोर्ट:-

मैंने आवेदक के पते पर जाकर आवेदन पत्र के तथ्यों की जांच कर ली है। जांच के अनुसार आवेदक/आवेदिका के परिवार के साधक की सामान्य/असामान्य मृत्यु दिनांक.....को हुई है। असामान्य मृत्यु का कारण.....पाया गया है। जांच तथा संलग्न आयु प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदक/आवेदिका के परिवार की वार्षिक आय रुपये अंकों में.....(शब्दों में).....है तथा-परिवार गरीबी की रेखा के नीचे की श्रेणी में आता है।

अतः.....रूपये की आर्थिक सहायता हेतु संस्तुति की जाती है।

प्रति हस्ताक्षरित

पूरा नाम.....

खण्ड विकास अधिकारी/अधिशासी अधिकारी

नगर पंचायत/नगर क्षेत्र पंचायत/उप नगर अधिकारी नगर निगम

मोहर.....

## उपजिलाधिकारी

आवेदक पत्र तथा संलग्न प्रमाण-पत्र आदि का परीक्षण कर लिया गया है। आवेदक/आवेदिका आर्थिक सहायता की पात्र हैं। अतः रूपये.....की आर्थिक सहायता (अनुदान स्वीकृति) संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर.....

हस्ताक्षर.....

जांच/परीक्षण कर्ता लिपिक

उपजिलाधिकारी

(सयोजक/सचिव)

मोहर.....

रू0.....की धनराशि की स्वीकृत प्रदान की जाती है।

मुख्य विकास अधिकारी/जिलाधिकारी

दिनांक.....

## विशेष जानकारी हेतु:-

- (1) यह आवेदन-पत्र ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक/आवेदिका द्वारा खण्ड विकास कार्यालय में संलग्नकों सहित तहसील नगर/कस्बे के आवेदक/आवेदिका द्वारा अधिशासी नगर पंचायत/नगर क्षेत्र पंचायत के कार्यालय में प्रस्तुत किये जायेंगे।
- (2) परिवार के साधक की आयु 18 वर्ष से 65 के मध्य मृत्यु होने पर, 10,000/- रूपये आवेदक को, परिवारिक लाभ के रूप में स्वीकृत करके उपजिलाधिकारी द्वारा क्रास बैंक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान किये जायेंगे।

आवेदन-पत्र संख्या.....